भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1903
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि

†1903. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सा वर्तमान के लगभग 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी भारतीय कम्पनियों के पास वर्तमान में वाणिज्यिक उपयोग हेतु पाइपलाइनों में और तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकों में दो बिलियन घन मीटर गैस है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): वर्तमान में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6.7 प्रतिशत है। सरकार ने ऊर्जा मिश्र में प्राकृतिक गैस के हिस्से को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को कटौती रहित श्रेणी में घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दाब/उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों, गहरे समुद्री और अत्यधिक गहरे समुद्री तथा कोल सीम्स से उत्पादित गैस के संबंध में उच्चतम मूल्य सहित विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी प्रदान करना, जैव सीएनजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड) का निर्माण करने तथा पूरे देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएनजीआरबी ने पूरे देश में लगभग 33,622 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है जिसमें से स्पर लाइनों, टाइ-इन कनेक्टिविटी, उप पारेषण पाइपलाइनों (एसटीपीएल) और समर्पित पाइपलाइनों सहित 24,623 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का प्रचालन किया जा रहा है और कुल 10,860 कि.मी. लंबी पाइपलाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा पीएनजीआरबी ने 'एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड और एक प्रशुल्क' के उद्देश्य से आपस में जुड़ी हुई प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए दिनांक 01.04.2023 से एक समान प्रशुल्क को कार्यान्वित कर दिया है। एक समान प्रशुल्क के कार्यान्वयन को आसान बनाने के उद्देश्य से विनियमनों में कंपनी स्तर पर एक समान प्राकृतिक गैस पाइप लाइन प्रशुल्क को शुरू किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हित की रक्षा के लिए एक समान प्रशुल्क क्षेत्रों के अलग-अलग क्षेत्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है।

(ग) और (घ): प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राधिकृत क्षमता 915.32 एमएमएससीएमडी है और भारत में मौजूदा एलएनजी टर्मिनलों की कुल टैंक क्षमता 3,203,830 घन मीटर है। इन पाइपलाइनों के माध्यम से पारेषित की जाने वाली गैस की मात्रा उन पाइपलाइनों से जुड़े हुए आपूर्ति और मांग केंद्रों पर गैस की उपलब्धता और खपत पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है।

***